राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण

क्रमांकः एफ.61(24) ग्रावि./म.न./नि.सा.अ./सामा.अंके. कलैण्डर/09–10/4404 जयपुर दिनांक : 8/7/10

<u>कार्यालय आदेश</u>

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक प.2(18)ग्रावि/अनु.8/06 दिनांक 31.05.2010 के द्वारा पंचायती राज संस्था, ग्रामीण विकास की विभिन्न योजना, मिड–डे–मील योजना के निरीक्षण हेतु चैक लिस्ट तैयार कर संबंधित अधिकारियों को उनको आवंटित जिले में विभिन्न कार्यों का मौके पर विस्तृत निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच हेतु दिनांक 26.08.2010 को समस्त ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण ग्रामसभा का आयोजन किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण का कार्य एवं उसकी मॉनीटरिंग की कार्रवाई प्रगति पर है। अतः तृतीय तिमाही में सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारी अपने निरीक्षण के समय सामाजिक अंकेक्षण की कार्रवाई एवं मॉनीटरिंग कार्य के संबंध मे हुई प्रगति की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट में आवश्यक रूप से उल्लेख करेंगे।

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

क्रमांकः एफ.61(24) ग्रावि./म.न./नि.सा.अ./सामा.अंके. कलैण्डर/09–10/4405-4530 जयपुर दिनांक : 8/7/10

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर
3. निजी संचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ई.जी.एस.
4. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त राजस्थान।
5. अतिरिक्त आयुक्त प्रथम/द्वितीय, ईजीएस।
6. परियोजना निदेशक, ईजीएस
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
8. परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद, समस्त राजस्थान
9. संबंधित निरीक्षणकर्ता अधिकारी...

निदेशक
सामाजिक अंकेक्षण

F:\Calender 22.6.10.doc

जिले में ग्रामीण विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारियों के लिए सामाजिक अंकेक्षण कार्रवाई की मॉनिटरिंग हेतु चैक लिस्ट

महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत करवाये गये एवं करवाये जा रहे कार्यों का ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित करने हेत संदर्भित पत्रों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कलेन्डर एवं विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। सामाजिक अंकेक्षण पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करवाने के लिए आवश्यक है कि नरेगा कार्यों से सम्बन्धित रिकॉर्ड एवं सूचनायें अंकेक्षण एवं निरीक्षण के लिए अंकेक्षण दलों एवं आम नागरिकों को उपलब्ध रहे। इसके लिए सामाजिक अंकेक्षण की कार्रवाई के निरीक्षण हेतु मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं:–

क. सं.	ग्राम पंचायत द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	कार्य पूर्ण करने वाले ब्लॉक्स की संख्या	ब्लॉक्स की संख्या जिनमें कार्य अपूर्ण है	कार्य पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या जिनमें कार्य अपूर्ण है	किस दिनांक तक कार्य पूर्ण करवाया जायेगा	विशेष विवरण
1	सामाजिक अंकेक्षण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व वर्ष 2009–10 तक की नरेगा योजनान्तर्गत समस्त परिवारों का विवरण मय मजूदरी भुगतान एवं कार्यवार सामग्री के उपयोग तथा उस पर व्यय की गई राशि का विवरण ग्राम पंचायत क्षेत्र में दीवारों पर लिखवाना (वॉल पेन्टिंग),						
2	नरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की सूचना निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट) के अनुसार तैयार करवाना तथा कार्यवार पत्रावलियों में निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटो प्रति संलग्न करना– • प्रशासनिक स्वीकृति / तकनीकी स्वीकृति / वित्तीय स्वीकृति • विस्तृत तखमीना • मस्टर रोल्स • बिल / बाउचर्स • माप पुस्तिका • उपयोगिता प्रमाण पत्र / पूर्णता प्रमाण पत्र कार्य से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज (अंकेक्षण प्रतिवेदन / निरीक्षण प्रतिवेदन)						
3	ग्राम सभा द्वारा चयनित सामाजिक						